भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2108
01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चंडीगढ़ में सीजीएचएस दंत चिकित्सा इकाई की स्थापना

†2108. श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चंडीगढ़ और पंजाब के प्रमुख शहरों (अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला) में सीजीएचएस वेलनेस केंद्रों में दंत चिकित्सा इकाइयों की कमी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को परेशानी हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या चंडीगढ़ में सीजीएचएस दंत चिकित्सा इकाई स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;
(ग) क्या पंजाब के अन्य प्रमुख शहरों में नई सीजीएचएस दंत चिकित्सा इकाइयां स्थापित किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार सीजीएचएस केंद्रों को आधुनिक दंत चिकित्सा उपकरणों और योग्य दंत चिकित्सकों से सुसज्जित करने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार की पंजाब में सीजीएचएस दंत चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): सीजीएचएस आरोग्य केंद्र, सीजीएचएस लाभार्थियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिसमें परामर्श, उपचार और दवाइयों का वितरण शामिल है। ये केंद्र पुरानी बीमारियों का उपचार करते हैं, निवारक देखभाल प्रदान करते हैं और स्वास्थ्य संबंधी नियमित जाँच करते हैं। ये केंद्र विशेषज्ञ परामर्श और पैनल में शामिल सुविधाओं वाले अस्पतालों में भर्ती के लिए रेफरल भी जारी करते हैं। लाभार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञ परामर्श, जाँच या अस्पताल में भर्ती के लिए पैनल में शामिल अस्पतालों और नैदानिक केंद्रों में रेफर किया जाता है। पंजाब राज्य और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में सीजीएचएस दंत इकाई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार, सभी नागरिकों के लिए दंत चिकित्सा सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने हेतु प्रयासरत है। इसके लिए वह अपने

विभिन्न कार्यक्रमों जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई), आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्व में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र), आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (एबीएचआईएम), आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम), और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को ग्रामीण एवं शहरी घटकों के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, सरकारी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल भी पंजाब राज्य और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में दंत चिकित्सा सहित सभी चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यरत हैं। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 09.10.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ज़ैड15025/18/2020/डीआईआर/सीजीएचएस के अनुसार किसी भी सरकारी अस्पताल (केंद्र/राज्य सरकार) से उपचार प्राप्त करने और सीजीएचएस की पैकेज दरों या वास्तविक, जो भी कम हो, के अनुसार प्रतिपूर्ति का दावा करने की अनुमति है। कार्यालय ज्ञापन की प्रति **अनुलग्नक-I** में है।

पंजाब राज्य और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के चिकित्सा उपचार के लिए सीजीएचएस और सीएस(एमए) नियम, 1944 के तहत 155 निजी स्वास्थ्य देखभाल संगठन (एचसीए) सूचीबद्ध हैं। इन सूचीबद्ध एचसीओ में से, 16 ऐसे एचसीओ से दंत चिकित्सा प्राप्त की जा सकती है। विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

Z15025/18/2020/DIR/CGHS
Government of India
Min. of Health & Family Welfare
Department of Health
Directorate General of CGHS

545-A Nirman Bhawan, New Delhi.
Dated the 9th October , 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Clarification regarding treatment of CGHS beneficiaries at government hospitals - regarding

****

With reference to the above subject the undersigned is directed to state that this Ministry is in receipt of several representations seeking clarifications about treatment at government hospitals. In this regard attention is drawn to Office memorandum No. S-11012/1/91-CGHS(P) (Vol.I) dt 18.03.1992 vide which guidelines regarding settlement of Claims were issued and to convey the approval of competent authority for issue of tthe following clarifications regarding treatment at government hospitals:

i. CGHS beneficiaries have the option to avail Consultation from Specialists/ Investigations / treatment procedures from any Government Hospital Central /State)

ii. The definition of "Government hospital" would include any hospital of Central Government /State Government/Government Departments such as Railways. Atomic Energy Commission, etc., as also hospitals of Public Sector Undertakings (such as those of the Steel Authority of India Limited/Coal India Limited, hospitals under Municipalities etc.

iii. Normally, many services at government hospitals are free. However, in case any government hospital charges for certain treatments , the same can be availed by way of reimbursement from the authorities concerned as per CGHS approved rates.

iv. CGHS beneficiaries shall be eligible for reimbursement as per the ward entitlement he/ she is entitled as per the criteria prescribed in case of AIIMS. In other government hospitals, where only General ward and Nursing home facility are available, CGHS beneficiaries, who are eligible eligible for semi-private ward and higher are eligible for treatment in Nursing Home wards.

v. Reimbursement for Implants shall be limited to CGHS prescribed ceiling rates. The other treatment charges are applicable item wise as per eligible ward entitlement.

vi. In case of treatment at ILBS , New Delhi , NIMS Hyderabad the reimbursement shall be as per CGHS rates.

vii. Medical claims are to be submitted through concerned CGHS Wellness Centre in case of Pensioners, ex-MPs , etc., and to the concerned Ministry /department /Office in case of serving employees and to the Rajya Sabha Secretariat / Lok Sabha Secretariat in case of Members of Parliament and to the concerned Autonomous body in case of CGHS beneficiaries of Autonomous Bodies for reimbursement

9/10/20

(Sanjay Jain)
Director, CGHS

To

1. All Ministries / Departments, Government of India
2. Director, CGHS, Nirman Bhawan, New Delhi
3. Estt.I/ Estt.II/ Estt.III/ Estt.IV Sections, Ministry of Health & Family Welfare
4. Admn.I / Admn.II Sections of Dte.GHS
5. Addl. Director, CGHS(HQ) / Addl.DDG(HQ)/Addl. Directors Directors of CGHS Cities
6. Rajya Sabha / Lok Sabha Secretariat
7. Registrar, Supreme Court of India /Punjab & Haryana High Court, Chandigarh
8. Under Secretary, U.P.S.C.
9. Under Secretary Finance Division
10. Deputy Secretary (Civil Service News), Department of Personnel & Training, 5th Floor Saradar Patel Bhawan, Sansad Marg , New Delhi
11. PPS to AS&MD, NRHM / AS (H) /DGHS
12. Secretary, Staff Side, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi
13. Office of the Comptroller & Auditor General of India, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi
14. All Offices / Sections / Desks in the Ministry
15. UTI Infrastructure Technology And Services Limited, UTI-ITSL Tower, Plot No3 Sector - 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614
16. Nodal Officer, MCTC, CGHS with a request to upload a copy of OM on CGHS Web-site
17. All Hospitals empanelled under CGHS through Addl. Director, CGHS of concerned city.
18. Office Order folder

Copy to

PPS to Secretary, HFW
PPS to AS&DG, CGHS, MoHFW
PPS to JS(AS), MoHFW
PS to Director,CGHS
US, EHS , MoHFW

Copy for information to

PPS to Hon'ble HFM

PPS to Hon'ble MOS

अनुलग्नक-II

पंजाब राज्य और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत सूचीबद्ध स्वास्थ्य देखभाल संगठनों (एचसीओ) की सूची, जहाँ दंत चिकित्सा उपचार लिया जा सकता है

चंडीगढ़ (04):

1. डॉ. कोचर हाउस ऑफ स्माइल्स
2. गुप्ता अस्पताल
3. इंडस स्पेशलिटी हेल्थ (इंडस हाइजीया)
4. खुल्लर डेंटल हॉस्पिटल

अमृतसर (03):

5. कॉर्पोरेट अस्पताल
6. रंजीत अस्पताल
7. लाइफक्योर अस्पताल

जालंधर (03):

8. ग्लोबल अस्पताल (यू ओ सूद अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड)
9. जौहल मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल
10. कैपिटल अस्पताल

पंजाब राज्य में सीएस (एमए) नियम, 1944 के अंतर्गत सूचीबद्ध स्वास्थ्य देखभाल संगठनों (एचसीओ) की सूची, जहाँ दंत चिकित्सा उपचार लिया जा सकता है

मोहाली (02):

11. मेहर अस्पताल, ज़ीरकपुर, मोहाली, पंजाब
12. जेपी अस्पताल, ज़ीरकपुर, मोहाली

लुधियाना (02):

13. मोहनदाई ओसवाल अस्पताल, लुधियाना, पंजाब
14. सतगुरु प्रताप सिंह अस्पताल लुधियाना पंजाब

रोपड़ (01):

15. गुरदेव अस्पताल कांगड़ रोड नूरपुर बेदी जिला। रोपड़ पंजाब

शहीद भगत सिंह नगर (01):

16. गुरु नानक मिशन अस्पताल, शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब

******